रैंगिग–निषेध –समिति

पी0एन0जी0 राजकीय स्नात0 महाविद्यालय, रामनगर नैनीताल उत्तराखण्ड

आख्या 2020–21

वर्ष 2020–21 में महाविद्यालय में गठित विभिन्न समितियों के अर्न्तगत प्राचार्य जी की अध्यक्षता में दिनांकः 20–12–2021 को रैंगिग–निषेध –समिति का गठन किया गया। समिति की संयोजिका डॉ0 प्रीति त्रिवेदी सदस्य डॉ0 अनुमिता अग्रवाल एवं डॉ0 किरन कुमार पन्त को चयनित किया गया, साथ ही उपजिलाधिकारी रामनगर, क्षेत्राधिकारी पुलिस रामनगर, को भी समिति में मनोनीत किया गया। दिनांकः 23–12–2021 को समिति की प्रथम बैठक हिन्दी विभाग में आयोजित की गयी, जिसमें रैंगिग सम्बन्धी नियमों पर विचार विमर्श कर, महाविद्यालय में अनुशासन की दृढ़ता बनाये रखने पर बल दिया गया । समिति की द्वितीय बैठक दिनांकः 27–12–2021 को हिन्दी विभाग में आयोजित की गयी। सम्बन्धित विषय के विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

1. महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी संकायों एवं सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा बार–बार अवगत कराया जाता है कि यदि उनके अथवा किसी भी छात्र–छात्रा के साथ रैंगिग जैसी कोई बात होती है तो वह सीधे संयोजक, एण्टी रैंगिग समिति को मौखिक अथवा लिखित रूप में अवगत करायें।
2. उपर्युक्त से सम्बन्धित सूचना को महाविद्यालय के समस्त सूचना पटों में भी चस्पा किया गया है।

   महाविद्यालय में आख्यागत वर्ष के दौरान रैंगिग सम्बन्धी कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्राचार्य

संयोजक

रैंगिग–निषेध –समिति